



F.No.CSU/Ashtaadashi-V/2021-22./09/2 2

Dated: 23.03.2022

To

The negisWar

Sampumanand Sanskrit Vishwavidyalaya, Varanasi,
Jyotish Vibhag, Uttar Pradesh - 221002

Sub.:- Tentative approval of financial assistance under “Ashtaadashi“ (18 Projects) **2021-22**
- reg..

Str/ Madam,

It gives me immense pleasure to inform you that now, formerly Rashtriya Sanskrit Sansthan (RSkS) has been promulgated as Central Sanskrit University (CSU), Delhi under the Central Sanskrit Universities Act, 2020 passed by the Parliament and assented to by the President of India. Its main objectives are propagation and promotion of Sanskrit language and it is also act as Nodal Agency to the Government of India for implementing its related programmes and policies. Accordingly, CSU/RSkS invited applications for financial assistance under the Ashtaadashi (18 Projects) from the Universities/Education Institutions/Organizations vide notification No.CSU/Ashtaadashi Projects-IV/2021-22/ dated 03.03.2021.

further, the Competent Authority has constituted a High-level Committee to examine the proposals, received from various institutions & agencies. Based on the proposal (s) submitted by the concerned institutions/agencies and in terms of the Ashtaadashi Guidelines, the Committee submitted its recommendations, which is also available on University's website. The recommendations were considered and approved by the GIAC in its 30th meeting held on 11.03.2022 at CSU, H.Q., Delhi, under agenda item No. 30.10.

Now, therefore, I am directed to convey the tentative approval/sanction of the Competent Authority for Grant-in-Aid of **no.1000000/- (Rupees ten lakh only)**, under Ashtaadashi (18 Projects) for conducting the project i.e. - Shabdashala Project -

W (P.I. - Prof. Amif Kumar Shukla, Co.P.I. - Dr. Madhusudan Mishra,
Dr. Maja Pathak).

It is further informed that list of projects recommended by the High-Level Committee under Ashtaadashi is available at University's website w.swskrit.nic.in. You may **kindly go through the recommendations/findings of the Committee and make necessary modifications/rectifications/revised of budget etc., and submit the proposal as per recommendations of the High-level Committee, in prescribed Form No. Ashtaadashi - I, which is also a part of the Guidelines of Scheme, to University for final approval.**

Accordingly, the head of institution/organization will have to submit: -

- a. Revised statement of expenditure alongwith project proposal in form no. Ashtaadashi - I, to the University on or before 28.03.2022. (As per to recommendations of the I ligli-Level Scrutiny Committee).
- b. The pre-receipt for **Rs.1000000/-**, duly signed bond paper (Format available in University website), and Audited accounts of last 3 years (2018-19 to 2020-21 see format Ashtaadashi guidelines No.13).
- c. The bank account details such as: -
 1. Name of the account holder (Institution)
 - 2, Name of the Bank
 3. Account number
 4. IFSC Code
 5. PAN/TIN number
 6. for NGOs registered UID number provided by the Govt. of India

The audited statement of accounts/ expenditure, utilization certificate for the sanctioned amount, duly certified by the Chartered Accountant (in original), detailed report on project (soft & hard) copy etc. will have to submit after completion of the first phase of the project in the prescribed proforma (Form No. Ashtaadashi - VII), failing which, further grant cannot be considered. For more details, see guidelines of the Ashtaadashi scheme at CSU website - under Scheme.

This is issued with the approval of the Competent Authority.

Yours faithfully,


(Prof. R.G. Murali Krishna)
Director (Central Schemes)

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय

संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित

(पूर्व में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, मानित विश्वविद्यालय)

शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार के अधीन

56-57, सांस्थानिक क्षेत्र, जनकपुरी, नई दिल्ली - 110058



Central Sanskrit University

Established by an Act of Parliament

(Formerly Rashtriya Sanskrit Sansthan, Deemed to be University)

Under Ministry of Education, Govt. of India

56-57, Institutional Area, Janakpuri, New Delhi - 110058

F.No.CSU/Ashtaadashi-V/2021-22/10/ k I

Dated: 23.03.2022

To

The Registrar

Sampurnanand Sanskrit Vishwavidyalaya, Varanasi,

Jyotish Vibhag, Uttar Pradesh — 221 002

Sub.: Tentative approval of financial assistance under “Ashtaadashi” (18 Projects) 2021-22
- reg..

Sir/Madam,

It gives me immense pleasure to inform you that now, formerly Rashtriya Sanskrit Sansthan (RSKS) has been promulgated as Central Sanskrit University (CSU), Delhi under the Central Sanskrit Universities Act, 2020 passed by the Parliament and assented to by the President of India. Its main objectives are propagation and promotion of Sanskrit language and it is also act as Nodal Agency to the Government of India for implementing its related programmes and policies. Accordingly, CSU/RSKS invited applications for financial assistance under the Ashtaadashi (18 Projects) from the Universities/Education Institutions/Organizations vide notification No.PSU/Ashtaadashi Projects-IV/2021-22/ dated 03.03.2021.

Further, the Competent Authority has constituted a High-level Committee to examine the proposals, received from various institutions & agencies. Based on the proposal (s) submitted by the concerned institutions/agencies and in terms of the Ashtaadashi Guidelines, the Committee submitted its recommendations, which is also available on University's website. The recommendations were considered and approved by the GIAC in its 30th meeting held on 11.03.2022 at CSU, H.Q., Delhi, under agenda item No. 30.10.

Now, therefore, I am directed to convey the tentative approval/sanction of the Competent Authority for Grant-in-Aid of Rs.400000/- (Rupees five lakh only), under Ashtaadashi (18 Projects) for conducting the project i.e. - Reprinting of Rare Books Project -

W (P.I. - Prof. Amit Kumar Shtikla, Co.P.I. - Dr.

Madhusudan Mishra, Dr. Raja Pathak).

It is further informed that list of projects recommended by the High-Level Committee under Ashtaadashi is available at University's website www.sanskrit.nic.in. You may kindly go through the recommendations/findings of the Committee and make necessary modifications/rectifications/revised of budget etc., and submit the proposal as per recommendations of the High-level Committee, in prescribed Form No. Ashtaadashi - I, which is also a part of the Guidelines of Scheme, to University for final approval.

GENERAL ENQUIRY 011-28520977, 28521904, 26524993, 28524595, 28525963

VC : 28523949, REGISTRAR : 28520979, ACD : 28521948, ADMIN : 28524532, EXAM : 2852 258, N.F.S.E. : 28524387,

MSP : 28523611, SCHEMES : 28520966, EMAIL : centralsanskrituniversity@gmail.com, WEBSITE : www.sanskrit.nic.in


Accordingly, the head of institution/organization will have to submit: -

- a. Revised statement of expenditure alongwith project proposal in form no. Ashtaadashi — I, to the University on or before 28.03.2022. (As per to recommendations of the High-Level Scrutiny Committee).
- b. The pre-receipt for Rs.400000/-, duly signed bond paper (Format available in University website), and Audited accounts of last 3 years (2018-19 to 2020-21 see format Ashtaadashi guidelines No.13).
- c. The bank account details such as: -
 1. Name of the account holder (Institution)
 2. Name of the Bank
 3. Account number
 4. IFSC Code
 5. PAN/TIN number
 6. for NGOs registered UID number provided by the Govt. of India

The audited statement of accounts/expenditure, utilization certificate for the sanctioned amount, duly certified by the Chartered Accountant (in original), detailed report on project (soft & hard) copy etc. will have to submit after completion of the first phase of the project in the prescribed proforma (Form No. Ashtaadashi - VII), failing which, further grant cannot be considered. For more details, see guidelines of the Ashtaadashi scheme at CSU website - under Scheme.

This is issued with the approval of the Competent Authority.

Yours faithfully,


(Prof. R.G. Murali Krishna)
Director (Central Schemes)

क्र.सं ५७६/२१
२७/१२/२१

FO/VC Sir
For kind information
sl
27/12/2021

गोपबाल
श्रीगुरुभक्त
२२
२७-१२-२०

1. प्रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट योजना के अंतर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय इस योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार उपकरण, शोध सहायक/केमिकल, प्लासवेयर, उपभोग्य वस्तुएं आदि/यात्रा व्यय और प्रिन्ट कार्य एवं डाटा कलेक्शन आदि आवश्यक व्यय पर किया जायेगा।
2. शासनादेश-संख्या-1604/सत्तर-4-2020-1268/2018 दिनांक 15.12.2020 द्वारा निर्गत प्रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट योजना के दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा तथा परियोजना के अंतर्गत कमरे

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

श्री सद्गुरु रामसिंह जी महाराज पीठ - अध्यादेश
पारा 51121गा1

- यह अध्यादेश श्री सद्गुरु रामसिंह जी महाराज पीठ अध्यादेश कहलायेगा ।
- सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय में श्री सद्गुरु रामसिंह जी महाराजपीठ की स्थापना के लिये श्री सद्गुरु जानोत सिंह महाराज द्वारा विश्वविद्यालय को प्रदत्त पाँचसौ रुपये की धनराशि को " श्री सद्गुरु रामसिंह जी महाराज पीठ निधि " नाम से सावधि जमा खाते में रखा जायगा और उससे प्राप्त आय को इसी नाम से वधता खाते में रखा जायेगा जिसका उपयोग इस अध्यादेश के प्रवन्धों के अनुसार किया जायेगा ।
- विश्वविद्यालय के दर्शन संकाय के अन्तर्गत श्री सद्गुरु राम सिंह जी महाराज पीठ" नाम एक विजिटिंग देवर होगा जिसके अन्तर्गत प्रतिवर्ष एक विद्वान को एक वर्ष के लिये आमंत्रित किया जायेगा जिसे ₹ 5000/- मासिक मानदेय तथा जाने जाने के लिये यात्रा-व्यय और वापसी व्यय । प्रासंगिक व्यय के लिये प्रतिवर्ष 10,000 रुपये उसी निधि के आय से प्रदान किया जायगा । पूर्ण पीठ स्थायी रूप से स्थापित होने पर यह पीठ स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्य करेगा ।
- नामधारी दरबार से ऐसी अतिरिक्त धनराशि प्राप्त होने पर जिसकी आय से पूरे वर्ष का मानदेय तथा पीठ के संवाहन व्यय का भुगतान सम्भव हो , पीठ को स्थायी किया जा सकेगा ।
5. पीठ के अन्तर्गत नियुक्त विद्वान गुरुनानक देव , गुरु गोविन्द सिंह और श्री सद्गुरु राम सिंह की परम्परा से सम्बद्ध किसी विषय पर गहन शोध कार्य , व्याख्यान और तुलनात्मक धर्म के क्षेत्र में कार्य करेंगे । इसके लिये राक्षस व्यक्त उपलब्ध न होने पर भ भारतीय धर्म दर्शन अथवा भारत की प्राचीन संस्कृति से सम्बद्ध किसी विषय पर कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है ।
6. पीठ द्वारा प्रतिवर्ष श्री सद्गुरु रामसिंह जी महाराज का वार्षिक स्मृति समारोह आयोजित किया जायेगा , जिसकी तिथि और कार्यक्रम का निर्धारण नामधारी दरबार को पूर्व सहमति से किया जायेगा । वार्षिक स्मृति समारोह के आयोजन के लिये नामधारी दरबार द्वारा प्रतिवर्ष ₹ 12000/- बारह हजार ₹ 12000/- अतिरिक्त प्रदान किया जायेगा ।
7. ज्ञानधारा के पुराह को अजस्र बनाये रखने के लिये तुलनात्मक धर्म के अध्ययन हेतु दो शोध छात्रों को पीठ द्वारा ₹ 10000/- एक हजार ₹ 10000/- मासिक छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी जिसके लिये नामधारी दरबार द्वारा प्रतिवर्ष 24,000/- चौबीस हजार ₹ 24,000/- अतिरिक्त प्रदान किया जायेगा ।
8. पीठ द्वारा शोध प्रवन्धों एवं गुह्यतापी के संस्कृत पद्यानुवाद : पंजाबी व्याख्या संहिता : के प्रकाशन तथा अग्रकाशिका पाण्डुलिपियों के सम्पादन एवं प्रकाशन की व्यवस्था की जायेगी जिसके लिये अतिरिक्त धन की व्यवस्था नामधारी दरबार द्वारा की जायेगी । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्वप्रथम "गुरु बन्धोदय कोमुदी" के सम्पादन एवं प्रकाशन के लिये अतिरिक्त धन की व्यवस्था नामधारी दरबार द्वारा की जायेगी ।
9. पीठ द्वारा प्रतिवर्ष संस्कृत एवं गुरुमुखी भाषा तथा वाङ्मय के सम्बन्ध में एक गोष्ठी आयोजित की जायेगी जो कि एके राते व्यय के लिये नामधारी दरबार द्वारा प्रतिवर्ष 50,000/- पचास हजार ₹ 50,000/- अतिरिक्त प्रदान किया जायेगा ।

: 2 :

10. इस अध्यादेश के अनुच्छेद 6, 7, 8, और 9 में उल्लिखित व्यय के निमित्त अतिरिक्त स्थायी निधि प्राप्त हो जाने पर उसकी आय से ये व्यय किये जा सकेंगे ।
11. पीठ द्वारा अन्य ऐसे कार्यों को सम्पन्न किया जा सकेगा जो पीठ के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हों अथवा उनके अनुरूप हों ।
12. पीठ का संचालन पांच सदस्यों की एक समिति द्वारा किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित होंगे
 1. कुलपति
 2. संकायाध्यक्ष -- दर्शन संकाय
 3. विभागाध्यक्ष - तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग--सदस्य
 4. श्री सद्गुरु जगजीत सिंह जी महाराज द्वारा
 5. नामित दो व्यक्ति

—अध्यक्ष

—सदस्य

सदस्य

आवश्यकतानुसार समिति किसी सदस्य को आमंत्रित कर सकेगी ।

13. पीठ के नाम, उद्देश्यों और उसके कार्य क्षेत्र के सम्बन्ध में इस अध्यादेश के उपबन्धों में कोई संशोधन, परिवर्धन, परिवर्तन श्री सद्गुरु जगजीत सिंह जी की पूर्व अनुमति और उपर्युक्त खण्ड 12 के अन्तर्गत गठित समिति की संसुति के बिना नहीं किया जायेगा ।

Registrar
Sampurnanand Sanskrit University
Varanasi



F.No.CSU/Ashtaadashi-V/2021-22./09/2 2

Dated: 23.03.2022

To

The negisWar

Sampumanand Sanskrit Vishwavidyalaya, Varanasi,
Jyotish Vibhag, Uttar Pradesh - 221002

Sub.:- Tentative approval of financial assistance under “Ashtaadashi“ (18 Projects) **2021-22**
- reg..

Str/ Madam,

It gives me immense pleasure to inform you that now, formerly Rashtriya Sanskrit Sansthan (RSkS) has been promulgated as Central Sanskrit University (CSU), Delhi under the Central Sanskrit Universities Act, 2020 passed by the Parliament and assented to by the President of India. Its main objectives are propagation and promotion of Sanskrit language and it is also act as Nodal Agency to the Government of India for implementing its related programmes and policies. Accordingly, CSU/RSkS invited applications for financial assistance under the Ashtaadashi (18 Projects) from the Universities/Education Institutions/Organizations vide notification No.CSU/Ashtaadashi Projects-IV/2021-22/ dated 03.03.2021.

further, the Competent Authority has constituted a High-level Committee to examine the proposals, received from various institutions & agencies. Based on the proposal (s) submitted by the concerned institutions/agencies and in terms of the Ashtaadashi Guidelines, the Committee submitted its recommendations, which is also available on University's website. The recommendations were considered and approved by the GIAC in its 30th meeting held on 11.03.2022 at CSU, H.Q., Delhi, under agenda item No. 30.10.

Now, therefore, I am directed to convey the tentative approval/sanction of the Competent Authority for Grant-in-Aid of **no.1000000/- (Rupees ten lakh only)**, under Ashtaadashi (18 Projects) for conducting the project i.e. - Shabdashala Project -

W (P.I. - Prof. Amif Kumar Shukla, Co.P.I. - Dr. Madhusudan Mishra,
Dr. Maja Pathak).

It is further informed that list of projects recommended by the High-Level Committee under Ashtaadashi is available at University's website w.swskrit.nic.in. You may **kindly go through the recommendations/findings of the Committee and make necessary modifications/rectifications/revised of budget etc., and submit the proposal as per recommendations of the High-level Committee, in prescribed Form No. Ashtaadashi - I, which is also a part of the Guidelines of Scheme, to University for final approval.**

Accordingly, the head of institution/organization will have to submit: -

- a. Revised statement of expenditure alongwith project proposal in form no. Ashtaadashi - I, to the University on or before 28.03.2022. (As per to recommendations of the I ligli-Level Scrutiny Committee).
- b. The pre-receipt for **Rs.1000000/-**, duly signed bond paper (Format available in University website), and Audited accounts of last 3 years (2018-19 to 2020-21 see format Ashtaadashi guidelines No.13).
- c. The bank account details such as: -
 1. Name of the account holder (Institution)
 - 2, Name of the Bank
 3. Account number
 4. IFSC Code
 5. PAN/TIN number
 6. for NGOs registered UID number provided by the Govt. of India

The audited statement of accounts/ expenditure, utilization certificate for the sanctioned amount, duly certified by the Chartered Accountant (in original), detailed report on project (soft & hard) copy etc. will have to submit after completion of the first phase of the project in the prescribed proforma (Form No. Ashtaadashi - VII), failing which, further grant cannot be considered. For more details, see guidelines of the Ashtaadashi scheme at CSU website - under Scheme.

This is issued with the approval of the Competent Authority.

Yours faithfully,


(Prof. R.G. Murali Krishna)
Director (Central Schemes)

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय

संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित

(पूर्व में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, मानित विश्वविद्यालय)

शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार के अधीन

56-57, सांस्थानिक क्षेत्र, जनकपुरी, नई दिल्ली - 110058



Central Sanskrit University

Established by an Act of Parliament

(Formerly Rashtriya Sanskrit Sansthan, Deemed to be University)

Under Ministry of Education, Govt. of India

56-57, Institutional Area, Janakpuri, New Delhi - 110058

F.No.CSU/Ashtaadashi-V/2021-22/10/ k I

Dated: 23.03.2022

To

The Registrar

Sampurnanand Sanskrit Vishwavidyalaya, Varanasi,

Jyotish Vibhag, Uttar Pradesh — 221 002

Sub.: Tentative approval of financial assistance under "Ashtaadashi" (18 Projects) 2021-22
- reg..

Sir/Madam,

It gives me immense pleasure to inform you that now, formerly Rashtriya Sanskrit Sansthan (RSKS) has been promulgated as Central Sanskrit University (CSU), Delhi under the Central Sanskrit Universities Act, 2020 passed by the Parliament and assented to by the President of India. Its main objectives are propagation and promotion of Sanskrit language and it is also act as Nodal Agency to the Government of India for implementing its related programmes and policies. Accordingly, CSU/RSKS invited applications for financial assistance under the Ashtaadashi (18 Projects) from the Universities/Education Institutions/Organizations vide notification No.PSU/Ashtaadashi Projects-IV/2021-22/ dated 03.03.2021.

Further, the Competent Authority has constituted a High-level Committee to examine the proposals, received from various institutions & agencies. Based on the proposal (s) submitted by the concerned institutions/agencies and in terms of the Ashtaadashi Guidelines, the Committee submitted its recommendations, which is also available on University's website. The recommendations were considered and approved by the GIAC in its 30th meeting held on 11.03.2022 at CSU, H.Q., Delhi, under agenda item No. 30.10.

Now, therefore, I am directed to convey the tentative approval/sanction of the Competent Authority for Grant-in-Aid of Rs.400000/- (Rupees five lakh only), under Ashtaadashi (18 Projects) for conducting the project i.e. - Reprinting of Rare Books Project -

W (P.I. - Prof. Amit Kumar Shtikla, Co.P.I. - Dr.

Madhusudan Mishra, Dr. Raja Pathak).

It is further informed that list of projects recommended by the High-Level Committee under Ashtaadashi is available at University's website www.sanskrit.nic.in. You may kindly go through the recommendations/findings of the Committee and make necessary modifications/rectifications/revised of budget etc., and submit the proposal as per recommendations of the High-level Committee, in prescribed Form No. Ashtaadashi - I, which is also a part of the Guidelines of Scheme, to University for final approval.

GENERAL ENQUIRY 011-28520977, 28521904, 26524993, 28524595, 28525963

VC : 28523949, REGISTRAR : 28520979, ACD : 28521948, ADMIN : 28524532, EXAM : 2852 258, N.F.S.E. : 28524387,

MSP : 28523611, SCHEMES : 28520966, EMAIL : centralsanskrituniversity@gmail.com, WEBSITE : www.sanskrit.nic.in


Accordingly, the head of institution/organization will have to submit: -

- a. Revised statement of expenditure alongwith project proposal in form no. Ashtaadashi — I, to the University on or before 28.03.2022. (As per to recommendations of the High-Level Scrutiny Committee).
- b. The pre-receipt for Rs.400000/-, duly signed bond paper (Format available in University website), and Audited accounts of last 3 years (2018-19 to 2020-21 see format Ashtaadashi guidelines No.13).
- c. The bank account details such as: -
 1. Name of the account holder (Institution)
 2. Name of the Bank
 3. Account number
 4. IFSC Code
 5. PAN/TIN number
 6. for NGOs registered UID number provided by the Govt. of India

The audited statement of accounts/expenditure, utilization certificate for the sanctioned amount, duly certified by the Chartered Accountant (in original), detailed report on project (soft & hard) copy etc. will have to submit after completion of the first phase of the project in the prescribed proforma (Form No. Ashtaadashi - VII), failing which, further grant cannot be considered. For more details, see guidelines of the Ashtaadashi scheme at CSU website - under Scheme.

This is issued with the approval of the Competent Authority.

Yours faithfully,


(Prof. R.G. Murali Krishna)
Director (Central Schemes)

क्र.सं ५७६/२१
२७/१२/२१

प्रेषक,

अब्दुल समद,
विशेष सचिव,
३०५० शासना।

၂၅:၁၁-၁၂၊

कुलसचिव/वित्त अधिकारी,

1. महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
2. लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
3. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
4. महात्मा ज्योतिबा फुले स्मृते लखनऊ विश्वविद्यालय, बरेली।
5. छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।
6. प्रो० राजेन्द्र सिंह (रजजु भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
7. डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या।
8. सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर।
9. वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर।
10. सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी।
11. ख्वाजा मुईनुद्दीन 'चश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक: २८ दिसम्बर, २०२१।

विषय- प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को शोध कार्यों हेतु "रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट" योजनांतर्गत अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रदेश के राज्य निम्नविद्यालयों में "मिस्र एण्ड डेवलपमेंट" योजनांतर्गत प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण गठित विशेषज्ञ समिति से कराया गया। अपर सचिव, उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ के पत्र संख्या-356/ग०उ०शि०प०/०१/२०२१, दिनांक 19.08.2021, पत्र संख्या-388/ग०उ०शि०प०/०१/२०२१, दिनांक 08.09.2021, पत्र संख्या-503/ग०उ०शि०प०/०१/२०२१, दिनांक 18.11.2021 एवं पत्र संख्या-522/ग०उ० शि०प०/०२/२०२१, दिनांक 08.12.2021 द्वारा उपलब्ध करायी गयी विशेषज्ञ समिति की संस्तुतियों पर सम्यक विचारोपरांत सलाम विवरण के अनुसार प्रदेश के राज्य निम्नविद्यालयों के शिक्षकों को शोध कार्य हेतु "मिस्र एण्ड डेवलपमेंट" योजनांतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन रु० 1,09,75,832/- (रुपये एक करोड़ नौ लाख पचहत्तर हजार आठ सौ बत्तीस मात्र) का अनुदान/ वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट योजना के अंतर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय इस योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार उपकरण, शोध सहायक/केमिकल, ग्लासवेयर, उपभोग्य वस्तुएं आदि/यात्रा व्यय और प्रिन्टिंग कार्य एवं डाटा कलेक्शन आदि आवश्यक व्यय पर किया जायेगा।
2. शासनादेश-संख्या-1604/सत्तर-4-2020-1268/2018 दिनांक 15.12.2020 द्वारा निर्गत रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट योजना के दिशा निर्देशों का पालन अनिवार्य किया जाएगा तथा परियोजना के अंतर्गत कमरे

गोपबाल
श्रीगुरुभ्यो नमः
२७-१२-२०

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

श्री सद्गुरु रामसिंह जी महाराज पीठ - अध्यादेश
पारा 51121गा1

- यह अध्यादेश श्री सद्गुरु रामसिंह जी महाराज पीठ अध्यादेश कहलायेगा ।
- सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय में श्री सद्गुरु रामसिंह जी महाराजपीठ की स्थापना के लिये श्री सद्गुरु जानोत सिंह महाराज द्वारा विश्वविद्यालय को प्रदत्त पाँचसौ रुपये की धनराशि को " श्री सद्गुरु रामसिंह जी महाराज पीठ निधि " नाम से सावधि जमा खाते में रखा जायगा और उससे प्राप्त आय को इसी नाम से वधता खाते में रखा जायेगा जिसका उपयोग इस अध्यादेश के प्रवन्धों के अनुसार किया जायेगा ।
- विश्वविद्यालय के दर्शन संकाय के अन्तर्गत श्री सद्गुरु राम सिंह जी महाराज पीठ" नाम एक विजिटिंग देवर होगा जिसके अन्तर्गत प्रतिवर्ष एक विद्वान को एक वर्ष के लिये आमंत्रित किया जायेगा जिसे ₹ 5000/- मासिक मानदेय तथा जाने जाने के लिये यात्रा-व्यय और वापसी व्यय । प्रासंगिक व्यय के लिये प्रतिवर्ष 10,000 रुपये उसी निधि के आय से प्रदान किया जायगा । पूर्ण पीठ स्थायी रूप से स्थापित होने पर यह पीठ स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्य करेगा ।
- नामधारी दरबार से ऐसी अतिरिक्त धनराशि प्राप्त होने पर जिसकी आय से पूरे वर्ष का मानदेय तथा पीठ के संवाहन व्यय का भुगतान सम्भव हो, पीठ स्वी स्थायी किया जा सकेगा ।
5. पीठ के अन्तर्गत नियुक्त विद्वान गुरुनानक देव, गुरु गोविन्द सिंह और श्री सद्गुरु राम सिंह की परम्परा से सम्बद्ध किसी विषय पर गहन शोध कार्य, व्याख्यान और तुलनात्मक धर्म के क्षेत्र में कार्य करेंगे । इसके लिये राक्षम व्यक्ति उपलब्ध न होने पर भ भारतीय धर्म दर्शन अथवा भारत की प्राचीन संस्कृति से सम्बद्ध किसी विषय पर कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है ।
6. पीठ द्वारा प्रतिवर्ष श्री सद्गुरु रामसिंह जी महाराज का वार्षिक स्मृति समारोह आयोजित किया जायेगा, जिसकी तिथि और कार्यक्रम का निर्धारण नामधारी दरबार को पूर्व सहमति से किया जायेगा । वार्षिक स्मृति समारोह के आयोजन के लिये नामधारी दरबार द्वारा प्रतिवर्ष ₹ 12000/- वारह हजार ₹ 1 अतिरिक्त प्रदान किया जायेगा ।
7. ज्ञानधारा के पुराह को अजस्र बनाये रखने के लिये तुलनात्मक धर्म के अध्ययन हेतु दो शोध छात्रों को पीठ द्वारा ₹ 10000/- एक हजार ₹ 10 मासिक छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी जिसके लिये नामधारी दरबार द्वारा प्रतिवर्ष 24,000/- चौबीस हजार ₹ 2 अतिरिक्त प्रदान किया जायेगा ।
8. पीठ द्वारा शोध प्रवन्धों एवं गुरुवाणी के संस्कृत पद्यानुवाद : पंजाबी व्याख्या संहिता : के प्रकाशन तथा अथवा शिक्षा पाठ्यलिपियों के सम्पादन एवं प्रकाशन की व्यवस्था की जायेगी जिसके लिये अतिरिक्त धन की व्यवस्था नामधारी दरबार द्वारा की जायेगी । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्वप्रथम "गुरु बन्धोदय कोमुदी" के सम्पादन एवं प्रकाशन के लिये अतिरिक्त धन की व्यवस्था नामधारी दरबार द्वारा की जायेगी ।
9. पीठ द्वारा प्रतिवर्ष संस्कृत एवं गुरुमुखी भाषा तथा वाङ्मय के सम्बन्ध में एक गोष्ठी आयोजित की जायेगी जो कि एके वार के लिये नामधारी दरबार द्वारा प्रतिवर्ष 50,000/- पचास हजार ₹ 5 अतिरिक्त प्रदान किया जायेगा ।

: 2 :

10. इस अध्यादेश के अनुच्छेद 6, 7, 8, और 9 में उल्लिखित व्यय के निमित्त अतिरिक्त स्थायी निधि प्राप्त हो जाने पर उसकी आय से ये व्यय किये जा सकेंगे ।
11. पीठ द्वारा अन्य ऐसे कार्यों को सम्पन्न किया जा सकेगा जो पीठ के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हों अथवा उनके अनुरूप हों ।
12. पीठ का संचालन पांच सदस्यों की एक समिति द्वारा किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित होंगे
 1. कुलपति
 2. संकायाध्यक्ष -- दर्शन संकाय
 3. विभागाध्यक्ष - तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग-सदस्य
 4. श्री सद्गुरु जगजीत सिंह जी महाराज द्वारा
 5. नामित दो व्यक्ति

-अध्यक्ष

-सदस्य

सदस्य

आवश्यकतानुसार समिति किसी सदस्य को आमंत्रित कर सकेगी ।

13. पीठ के नाम, उद्देश्यों और उसके कार्य क्षेत्र के सम्बन्ध में इस अध्यादेश के उपबन्धों में कोई संशोधन, परिवर्धन, परिवर्तन श्री सद्गुरु जगजीत सिंह जी की पूर्व अनुमति और उपर्युक्त खण्ड 12 के अन्तर्गत गठित समिति की संसुति के बिना नहीं किया जायेगा ।

Registrar
Sampurnanand Sanskrit University
Varanasi

3.2.3

संस्थायां गतेषु पञ्चसु वर्षेषु उद्योग-औद्योगिकाधिष्ठान-दत्तनिधि-राष्ट्रिय-अन्ताराष्ट्रियनिकायैः
अन्याभिश्च असर्वकारीयसंस्थाभिः प्रायोजितानां शोधयोजनानां कृते प्राप्तमनुदानं पीठानि
च (लक्षशः)

क्र	पीठस्यनाम	प्रमुखान्वेषकस्य नाम	प्रमुखान्वेषकस्य विभागः	अनुदान वर्षम्	धनम्	अवधि
1	रामसिंह पीठम्	डॉ. रेणु द्विवेदी	दर्शन विभागः	2018	801472	1 वर्ष
2	रामसिंह पीठम्	डॉ. रेणु द्विवेदी	दर्शन विभागः	2019	709734	1 वर्ष
3	रामसिंह पीठम्	डॉ. रेणु द्विवेदी	दर्शन विभागः	2020	577350	1 वर्ष
4	रामसिंह पीठम्	डॉ. रेणु द्विवेदी	दर्शन विभागः	2021	382323	1 वर्ष
5	रामसिंह पीठम्	डॉ. रेणु द्विवेदी	दर्शन विभागः	2018	612154	1 वर्ष

क्र	योजना नाम	प्रमुखान्वेषकस्य नाम	प्रमुखान्वेषकस्य विषयः	प्राप्ति वर्षम्	धनम्	योजना अवधि
1	अष्टादशी	प्रो० अमित कुमार शुक्ल	ज्योतिषम्	2022	1000000	3 वर्ष
2	अष्टादशी	प्रो० अमित कुमार शुक्ल	ज्योतिषम्	2022	400000	3 वर्ष
3	R & D	डॉ० विजय कुमार शर्मा	वेदः	2021	500000	3 वर्ष



Registrar
Sampurnanand Sanskrit University
Varanasi

3.2.3

संस्थायां गतेषु पञ्चसु वर्षेषु उद्योग-औद्योगिकाधिष्ठान-दत्तनिधि-राष्ट्रिय-अन्ताराष्ट्रियनिकायैः
अन्याभिश्च असर्वकारीयसंस्थाभिः प्रायोजितानां शोधयोजनानां कृते प्राप्तमनुदानं पीठानि
च (लक्षशः)

क्र	पीठस्यनाम	प्रमुखान्वेषकस्य नाम	प्रमुखान्वेषकस्य विभागः	अनुदान वर्षम्	धनम्	अवधि
1	रामसिंह पीठम्	डॉ. रेणु द्विवेदी	दर्शन विभागः	2018	801472	1 वर्ष
2	रामसिंह पीठम्	डॉ. रेणु द्विवेदी	दर्शन विभागः	2019	709734	1 वर्ष
3	रामसिंह पीठम्	डॉ. रेणु द्विवेदी	दर्शन विभागः	2020	577350	1 वर्ष
4	रामसिंह पीठम्	डॉ. रेणु द्विवेदी	दर्शन विभागः	2021	382323	1 वर्ष
5	रामसिंह पीठम्	डॉ. रेणु द्विवेदी	दर्शन विभागः	2018	612154	1 वर्ष

क्र	योजना नाम	प्रमुखान्वेषकस्य नाम	प्रमुखान्वेषकस्य विषयः	प्राप्ति वर्षम्	धनम्	योजना अवधि
1	अष्टादशी	प्रो० अमित कुमार शुक्ल	ज्योतिषम्	2022	1000000	3 वर्ष
2	अष्टादशी	प्रो० अमित कुमार शुक्ल	ज्योतिषम्	2022	400000	3 वर्ष
3	R & D	डॉ० विजय कुमार शर्मा	वेदः	2021	500000	3 वर्ष



Registrar
Sampurnanand Sanskrit University
Varanasi

3.2.3

संस्थायां गतेषु पञ्चसु वर्षेषु उद्योग-औद्योगिकाधिष्ठान-दत्तनिधि-राष्ट्रिय-अन्ताराष्ट्रियनिकायैः
अन्याभिश्च असर्वकारीयसंस्थाभिः प्रायोजितानां शोधयोजनानां कृते प्राप्तमनुदानं पीठानि
च (लक्षशः)

क्र	पीठस्यनाम	प्रमुखान्वेषकस्य नाम	प्रमुखान्वेषकस्य विभागः	अनुदान वर्षम्	धनम्	अवधि
1	रामसिंह पीठम्	डॉ. रेणु द्विवेदी	दर्शन विभागः	2018	801472	1 वर्ष
2	रामसिंह पीठम्	डॉ. रेणु द्विवेदी	दर्शन विभागः	2019	709734	1 वर्ष
3	रामसिंह पीठम्	डॉ. रेणु द्विवेदी	दर्शन विभागः	2020	577350	1 वर्ष
4	रामसिंह पीठम्	डॉ. रेणु द्विवेदी	दर्शन विभागः	2021	382323	1 वर्ष
5	रामसिंह पीठम्	डॉ. रेणु द्विवेदी	दर्शन विभागः	2018	612154	1 वर्ष

क्र	योजना नाम	प्रमुखान्वेषकस्य नाम	प्रमुखान्वेषकस्य विषयः	प्राप्ति वर्षम्	धनम्	योजना अवधि
1	अष्टादशी	प्रो० अमित कुमार शुक्ल	ज्योतिषम्	2022	1000000	3 वर्ष
2	अष्टादशी	प्रो० अमित कुमार शुक्ल	ज्योतिषम्	2022	400000	3 वर्ष
3	R & D	डॉ० विजय कुमार शर्मा	वेदः	2021	500000	3 वर्ष



Registrar
Sampurnanand Sanskrit University
Varanasi

3.2.1

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी
श्री सद्गुरु रामसिंह जी महाराज पीठ - अध्यादेश
पार 511217A

1. यह अध्यादेश श्री सद्गुरु रामसिंह जी महाराज पीठ अध्यादेश कहलायेगा ।
2. सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय में श्री सद्गुरु रामसिंह जी महाराजपीठ की स्थापना के लिये श्री सद्गुरु जगजोस सिंह महाराज द्वारा विश्वविद्यालय को प्रदत्त पत्रव्यवस्था रुपये की धनराशि को " श्री सद्गुरु रामसिंह जी महाराज पीठ निधि " नाम से सावधि जमा खाते में रखा जायेगा और उससे प्राप्त आम की इसी नाम से ववत खाते में रखा जायेगा जिसका उपयोग इस अध्यादेश के उपबन्धों के अनुसार किया जायेगा ।
3. विश्वविद्यालय के दर्शन संकाय के अन्तर्गत श्री सद्गुरु राम सिंह जी महाराज पीठ नाम एक विजिटिंग सेपर होगा जिससे अन्तर्गत प्रतिवर्ष एक विद्वान को एक वर्ष के लिये आमंत्रित किया जायेगा जिसे ₹ 5000/- मासिक मानदेय तथा आने जाने के लिये वाता-व्यय और वापसि व्यय । प्रासंगिक व्यय के लिये प्रतिवर्ष 10,000 रुपये उक्त निधि के आम से प्रदान किया जायेगा । पूर्ण पीठ स्थायी रूप से स्थापित होने पर यह पीठ स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्य करेगा ।
4. नामधारी दरबार से ऐसी अतिरिक्त धनराशि प्राप्त होने पर जिसको आम से पूरे वर्ष का मानदेय तथा पीठ के संवाहन व्यय का भुगतान सम्भव हो , पीठ को स्थायी किया जा सकेगा ।
5. पीठ के अन्तर्गत नियुक्त विद्वान गुरुनानक देव , गुरु गोविन्द सिंह और श्री सद्गुरु राम सिंह को परम्परा से सम्बद्ध किसी विषय पर गहन शोध कार्य , व्याख्यान और तुलनात्मक धर्म के क्षेत्र में कार्य करेंगे । इसके लिये सक्षम व्यक्ति उपलब्ध न होने पर भारतीय धर्म दर्शन अथवा भारत की प्राचीन संस्कृति से सम्बद्ध किसी विषय पर कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है ।
6. पीठ द्वारा प्रतिवर्ष श्री सद्गुरु रामसिंह जी महाराज का वार्षिक स्मृति समारोह आयोजित किया जायेगा , जिसको तिथि और कार्यक्रम का निर्धारण नामधारी दरबार को पूर्व सहमति से किया जायेगा । वार्षिक स्मृति समारोह के आयोजन के लिये नामधारी दरबार द्वारा प्रतिवर्ष ₹ 12000/- वारह हजार ₹ 11 अतिरिक्त प्रदान किया जायेगा ।
7. ज्ञानधारा के प्रवाह को अग्रु बनाये रखने के लिये तुलनात्मक धर्म के अध्ययन हेतु दो शोध छात्रों को पीठ द्वारा ₹ 10000/- एक हजार ₹ 10 मासिक छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी जिसके लिये नामधारी दरबार द्वारा प्रतिवर्ष 24,000/- चौबीस हजार ₹ 24 अतिरिक्त प्रदान किया जायेगा ।
8. पीठ द्वारा शोध प्रबन्धों एवं गुरुवाणी के संस्कृत पद्यानुवाद : वंजावी व्याख्या संहिता : के प्रकाशन तथा अप्रकाशित पाण्डुलिपियों के सम्पादन एवं प्रकाशन की व्यवस्था की जायेगी जिसके लिये अतिरिक्त धन को व्याख्या नामधारी दरबार द्वारा को जायेगी । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्वप्रथम "गुरु वन्दोदय गोपदी" के सम्पादन एवं प्रकाशन के लिये अपेक्षित अतिरिक्त धन की व्यवस्था नामधारी दरबार द्वारा की जायेगी ।
9. पीठ द्वारा प्रतिवर्ष संस्कृत एवं गुरुगुपी भाषा तथा वाङ्मय के सम्बन्ध में एक गोष्ठि आयोजित की जायेगी जो कि धर्म धर्म धर्म के लिये नामधारी दरबार द्वारा प्रतिवर्ष 50,000/- पचास हजार ₹ 50 अतिरिक्त प्रदान किया जायेगा ।

10. इस अध्यादेश के अनुच्छेद 6, 7, 8, और 9 में उल्लिखित व्यय के निमित्त अतिरिक्त स्थायी निधि प्राप्त हो जाने पर उसकी आय से ये व्यय किये जा सकेंगे ।
11. पीठ द्वारा अन्य ऐसे कार्यों को सम्पन्न किया जा सकेगा जो पीठ के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हों अथवा उनके अनुरूप हों ।
12. पीठ का संचालन पांच सदस्यों की एक समिति द्वारा किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित होंगे
 1. कुलपति
 2. संकायाध्यक्ष -- दर्शन संकाय
 3. विभागाध्यक्ष - तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग-सदस्य
 4. श्री सद्गुरु जगजीत सिंह जी महाराज द्वारा
 5. नामित दो व्यक्ति

-अध्यक्ष

-सदस्य

सदस्य

आवश्यकतानुसार समिति किसी सदस्य को आमंत्रित कर सकेगी ।

13. पीठ के नाम, उद्देश्यों और उसके कार्य क्षेत्र के सम्बन्ध में इस अध्यादेश के उपबन्धों में कोई संशोधन, परिवर्धन, परिवर्तन श्री सद्गुरु जगजीत सिंह की पूर्व अनुमति और उपर्युक्त धण्ड 12 के अन्तर्गत गठित समिति की संस्तुति के बिना नहीं किया जायेगा ।

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय

संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित

(पूर्व में राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, मानित विश्वविद्यालय)
विश्व मन्त्रालय, भारत सरकार के अधीन
56-57, संस्थानिक क्षेत्र, जवाहरपुरी, नई दिल्ली - 110058



Central Sanskrit University

Established by an Act of Parliament

(Formerly Rashtriya Sanskrit Sansthan, Deemed to be University)
Under Ministry of Education, Govt. of India
56-57, Institutional Area, Janakpuri, New Delhi - 110058

F.No.CSU/Ashtaadashi-V/2021-22/09/22

Dated: 23.03.2022

To

The Registrar

Sampurnanand Sanskrit Vishwavidyalaya, Varanasi,
Jyotish Vibhag, Uttar Pradesh - 221002

Subj:- Tentative approval of financial assistance under "Ashtaadashi" (18 Projects) 2021-22
- reg.-

Sir/Madam,

It gives me immense pleasure to inform you that now, formerly Rashtriya Sanskrit Sansthan (RSKS) has been promulgated as Central Sanskrit University (CSU), Delhi under the Central Sanskrit Universities Act, 2020 passed by the Parliament and assented to by the President of India. Its main objectives are propagation and promotion of Sanskrit language and it is also act as Nodal Agency to the Government of India for implementing its related programmes and policies. Accordingly, CSU/RSKS invited applications for financial assistance under the Ashtaadashi (18 Projects) from the Universities/Education Institutions/ Organizations vide notification No.CSU/Ashtaadashi Projects-IV/2021-22/ dated 03.03.2021.

Further, the Competent Authority has constituted a High-level Committee to examine the proposals, received from various institutions & agencies. Based on the proposal (s) submitted by the concerned institutions/agencies and in terms of the Ashtaadashi Guidelines, the Committee submitted its recommendations, which is also available on University's website. The recommendations were considered and approved by the GIAC in its 30th meeting held on 11.03.2022 at CSU, H.Q., Delhi, under agenda item No. 30.10.

Now, therefore, I am directed to convey the tentative approval/sanction of the Competent Authority for Grant-in-Aid of Rs.1000000/- (Rupees ten lakh only), under Ashtaadashi (18 Projects) for conducting the project i.e. - Shabdashala Project - न्यौतिषशाला प्रिय ब्रह्म शब्दकोश का निर्माण (P.I. - Prof. Amit Kumar Shukla, Co.P.I. - Dr. Madhusudan Mishra, Dr. Raja Pathak).

It is further informed that list of projects recommended by the High-Level Committee under Ashtaadashi is available at University's website www.sanskrit.nic.in. You may kindly go through the recommendations/findings of the Committee and make necessary modifications/rectifications/revised of budget etc., and submit the proposal as per recommendations of the High-level Committee, in prescribed Form No. Ashtaadashi - I, which is also a part of the Guidelines of Scheme, to University for final approval.

ले० २५५६/२०२१
२९/१२/२०२१

क्र० सं० ५३१६/२१
२९/१२/२१

संख्या-१०४ /२०२१/२५४९/सत्तर-४-२०२१-४(२८)/२०२१

प्रोपक,

अब्दुल समद,
विशेष सचिव,
३०५० शासना

गोसा में,

कुलसचिव/वित्त अधिकारी,

१. महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
२. लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
३. गोपनी चरण सिंह विश्वविद्यालय, गेठ।
४. महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।
५. छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।
६. प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
७. डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या।
८. सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर।
९. वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर।
१०. सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी।
११. ख्वाजा मुईनुद्दीन 'वेश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ।

उच्च शिक्षा अनुभाग-४

लखनऊ: दिनांक: २८ दिसम्बर, २०२१

विषय- प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को शोध कार्यों हेतु "रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट" योजनांतर्गत अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष २०२१-२२ में प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में "रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट" योजनांतर्गत प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण गठित विशेषज्ञ समिति से कराया गया। अपर सचिव, ३०५० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ के पत्र संख्या-३५६/ग०३०शि०५०/०१/२०२१, दिनांक १९.०८.२०२१, पत्र संख्या-३८८/ग०३०शि०५०/०१/२०२१, दिनांक ०८.०९.२०२१, पत्र संख्या-५०३/ग०३०शि०५०/०१/२०२१, दिनांक १८.११.२०२१ एवं पत्र संख्या-५२२/ग०३० शि०५०/०२/२०२१, दिनांक ०८.१२.२०२१ द्वारा उपलब्ध करायी गयी विशेषज्ञ समिति की संस्तुतियों पर सम्यक विचारोपगत सलाम विवरण के अनुसार प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को शोध कार्यों हेतु "रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट" योजनांतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन रु० १,०९,७५,८३२/- (रुपये एक करोड़ नौ लाख पचहत्तर हजार आठ सौ बत्तीस मात्र) का अनुदान/ वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

१. रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट योजना के अंतर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय इस योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार उपकरण, शोध सहायक/केमिकल, ग्लासवेयर, उपभोग्य वस्तुएं आदि/यात्रा व्यय और फील्ड कार्य एवं डाटा कलेक्शन आदि आवश्यक व्यय पर किया जायेगा।
२. शासनादेश-संख्या-१६०४/सत्तर-४-२०२०-१२६८/२०१८ दिनांक १५.१२.२०२० द्वारा निर्गत रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट योजना के दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा तथा परियोजना के अंतर्गत कार्यों

कोषपाल
२९-१२-२०२१

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय

संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित

(पूर्व में राष्‍ट्रीय संस्कृत संस्थान, मानि‍त विश्वविद्यालय)

शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार के अधीन

56-57, संस्थानिक क्षेत्र, जनकपुरी, नई दिल्ली - 110058



Central Sanskrit University

Established by an Act of Parliament

(Formerly Rashtriya Sanskrit Sansthan, Deemed to be University)

Under Ministry of Education, Govt. of India

56-57, Institutional Area, Janakpuri, New Delhi - 110058

F.No.CSU/Ashtaadashi-V/2021-22/10/ 22\

Dated: 23.03.2022

To

The Registrar

Sampurnanand Sanskrit Vishwavidyalaya, Varanasi,

Jyotish Vibhag, Uttar Pradesh - 221 002

Sub:- Tentative approval of financial assistance under "Ashtaadashi" (18 Projects) 2021-22
- reg.,

Sir/Madam,

It gives me immense pleasure to inform you that now, formerly Rashtriya Sanskrit Sansthan (RSKS) has been promulgated as Central Sanskrit University (CSU), Delhi under the Central Sanskrit Universities Act, 2020 passed by the Parliament and assented to by the President of India. Its main objectives are propagation and promotion of Sanskrit language and it is also act as Nodal Agency to the Government of India for implementing its related programmes and policies. Accordingly, CSU/RSKS invited applications for financial assistance under the Ashtaadashi (18 Projects) from the Universities/Education Institutions/Organizations vide notification No.CSU/Ashtaadashi Projects-IV/2021-22/ dated 03.03.2021.

Further, the Competent Authority has constituted a High-level Committee to examine the proposals, received from various institutions & agencies. Based on the proposal (s) submitted by the concerned institutions/agencies and in terms of the Ashtaadashi Guidelines, the Committee submitted its recommendations, which is also available on University's website. The recommendations were considered and approved by the GIAC in its 30th meeting held on 11.03.2022 at CSU, H.Q., Delhi, under agenda item No. 30.10.

Now, therefore, I am directed to convey the tentative approval/sanction of the Competent Authority for Grant-in-Aid of Rs.400000/- (Rupees five lakh only), under Ashtaadashi (18 Projects) for conducting the project i.e. - Reprinting of Rare Books Project - सुधाकरद्विवेदिकृत चलनकलन ग्रन्थ का प्रकाशन (P.I. - Prof. Amit Kumar Shukla, Co.P.I. - Dr. Madhusudan Mishra, Dr. Raja Pathak).

It is further informed that list of projects recommended by the High-Level Committee under Ashtaadashi is available at University's website www.sanskrit.nic.in. You may kindly go through the recommendations/findings of the Committee and make necessary modifications/rectifications/revised of budget etc., and submit the proposal as per recommendations of the High-level Committee, in prescribed Form No. Ashtaadashi - I, which is also a part of the Guidelines of Scheme, to University for final approval.

GENERAL ENQUIRY : 011-28520977, 28521994, 28524993, 28524995, 28525963

VC : 28523949, REGISTRAR : 28520979, ACD : 28521948, ADMIN : 28524532, EXAM : 28521258, N.F.S.E. : 28524387, MSP : 28523611, SCHEMES : 28520966, EMAIL : centralsanskrituniversity@gmail.com, WEBSITE : www.sanskrit.nic.in

3/4

$$\frac{4}{35} = 0.1142$$

Registrar
Sampurnanand Sanskrit University
Varanasi